2009_01_ILR_0873_0879_

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम श्रीमती अमरावती

आर. अन . आर

राकेश कुमार जैन से पहले, जे.

हरियाणा की स्थिति और अन्य – – -अपीलकर्ता
बनाम

श्रीमती. अमरावती,- – – –प्रतिवादी

आर.एस.ए. *2003* का *3088*

23 जनवरी *2008*

सिविल प्रक्रिया संहिता*, 1908 -* चिकित्सीय गर्भ समाप्ति अधिनियम*, 1971 -* पांच साल के बाद नसबंदी ऑपरेशन की विफलता - एक लड़के का जन्म - मुआवजे के लिए दावा - नीचे की दोनों अदालतें ऑपरेशन के समय डॉक्टर की ओर से लापरवाही का पता लगाने में विफल रहीं -चिकित्सा विज्ञान भी नसबंदी ऑपरेशन की विफलता दर को *0.3%* से *0.7%* तक मान रहा है -लापरवाही का पता न चलने पर अपीलकर्ताओं को मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता -अपील की अनुमति, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया गया। .

निर्धारित किया गया है। कि ट्रायल कोर्ट ने डॉ. जीएस बुटर के बयान को खारिज कर गलती की है। हालाँकि, स्व-सेवारत कथन के रूप मे पीडब्ल्यू 1 वादी अमरावती के रूप में उपस्थित होकर अपने परीक्षण-प्रमुख में कहा है कि डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की थी और फिर उसका ऑपरेशन किया था। संयोग की बात है कि पांच साल के ऑपरेशन के बाद वह गर्भवती हुई और एक बच्चे को जन्म दिया। नीचे दी गई दोनों अदालतों ने ऑपरेशन के समय डॉक्टर की ओर से लापरवाही का कोई सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। स्त्री रोग विज्ञान पर सबूतों और आधिकारिक पाठ्य पुस्तकों के आधार पर लापरवाही की खोज के अभाव में, जिसमें स्वीकृत तकनीकों में से चुनी गई तकनीक के आधार पर 0.3% से 0.7% की विफलता दर को मान्यता दी गई थी,

लापरवाही के लिए अपीलकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सर्जरी चिकित्सा विज्ञान द्वारा ज्ञात और मान्यता प्राप्त तकनीक द्वारा की गई थी। यह नसबंदी ऑपरेशन के असफल होने का एक शुद्ध और सरल मामला है, हालांकि विधिवत प्रदर्शन किया गया था।

(पारस 11 और 12)

सुश्री किर्ती सिंह, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा के लिए के अपीलकर्ता.

कोई नहीं प्रतिवादी के लिए.

राकेश कुमार जैन, जे.

(1) हरियाणा राज्य और अन्य नीचे के न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ दूसरी अपील में हैं, जिसके तहत मुआवजे के लिए वादी के मुकदमे का फैसला किया गया है।

(2) वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 की चिकित्सीय लापरवाही के कारण मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया क्योंकि उसने नसबंदी ऑपरेशन की विफलता के कारण एक अवांछित बच्चे को जन्म दिया था। वादपत्र में कहा गया है कि वादी का 23 तारीख मार्च, 1992 सिविल अस्पताल को ट्यूबेक्टोमी का ऑपरेशन हुआ था, पानीपत में। प्रतिवादी संख्या 3 ने लापरवाही से वादी का ऑपरेशन किया जिसके कारण एक लड़के का जन्म हुआ जिसके लिए रुपये का मुआवजा दिया गया। 3 लाख का दावा किया

गया था. प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 द्वारा अलग-अलग लिखित बयानों के माध्यम से मुकदमा लड़ा गया था। ऑपरेशन की बात तो स्वीकार कर ली गई, लेकिन लापरवाही से इनकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर लिखित बयान के पैरा 12 में यह तर्क दिया गया था कि वादी ने ऑपरेशन से पहले लिखित रूप में दिया था कि ऑपरेशन की विफलता के मामले में न तो वह और न ही उसके रिश्तेदार डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ या सरकार पर मुकदमा दायर करेंगे। यह भी दलील दी गई कि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार कोई भी परिवार नियोजन विधि स्थायी नहीं है और हर विधि के पुनर्मिलन और विफलता की संभावना बताई गई है विभिन्न चिकित्सा पुस्तकें. प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित बयान में नहीं. 1 और 2, यह निवेदन किया गया था कि वादी ने खुद अपनी सहमति दी थी ऑपरेशन और प्रतिवादी नंबर 3 के लिए, जो एक अच्छी तरह से योग्य सर्जन है, पहले ही ऐसे हजारों ऑपरेशन कर चुके थे. उक्त प्रतिवादी वादी द्वारा कथित लापरवाही से भी इनकार किया. प्रतिकृति में वादी द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 पैरा के लिखित बयान के लिए दायर किया

गया No.12 का अस्पष्ट उत्तर दिया गया है और इसे विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया है कि उसने ऑपरेशन की विफलता के मामले में लिखित रूप में नहीं दिया था वह या उसके रिश्तेदार डॉक्टरों आदि पर मुकदमा नहीं करेंगे.

(3) पक्षों की दलीलों पर, ट्रायल कोर्ट द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तय किए गए:

(1) क्या वादी रुपये के मुआवजे का हकदार है। जैसा कि आरोप लगाया गया है 3 लाख? ऑप

(2) क्या वाद वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य नहीं है? ओपीडी

(3) क्या वाद कालातीत है? ओपीडी

(4) क्या वादी के पास यह मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है? ओपीडी

(5) क्या धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस के अभाव में मुकदमा ख़राब है? ओपीडी

(6) राहत

(4) वादी अमरावती एवं प्रतिवादी क्रमांक 3 डॉ. जी.एस. प्रमुख दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा, बटर क्रमशः पीडब्ल्यूआई और डीडब्ल्यूआई के रूप में उपस्थित हुए।

(5) ट्रायल कोर्ट हरियाणा राज्य और अन्य बनाम श्रीमती के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा कर रहा है। सैंट्रा (1) ने माना कि वादी रुपये की क्षति का हकदार है। 1,00,000 और 2 मार्च, 2002 को अपने फैसले और डिक्री द्वारा मुकदमे का फैसला सुनाया।

---

1) एआईआर 2000 एस.सी. 1888

---

(6) हरियाणा राज्य और अन्य ने पहली अपील दायर की जिसमें सरकारी वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि ऑपरेशन की कोई गारंटी नहीं है

फुलप्रूफ होने के कारण और वादी ने शपथ पत्र दिया था कि वह डॉक्टरों आदि पर मुकदमा नहीं करेगी, इसलिए उन्हें मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया

जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 10 अप्रैल, 2003 को अपने फैसले में दर्ज किया कि जहां तक तथ्यों का सवाल है, वे विवाद में नहीं हैं, लेकिन निर्धारित करने की बात यह है कि क्या रु। 1 लाख का हर्जाना सही दिया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पाया कि मुआवजा उचित है और इस प्रकार अपील 10 अप्रैल, 2003 को खारिज कर दी गई। इसलिए हरियाणा राज्य और अन्य द्वारा वर्तमान दूसरी अपील।

(7) अपील 10 जुलाई, 2003 को स्वीकार की गई और कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन तामील के बावजूद, प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

(8) मैंने सुश्री कीर्ति सिंह, विद्वान सहायक को सुना है। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता, हरियाणा। उन्होंने कानून के निम्नलिखित प्रश्न तैयार किये हैं:

(1) क्या संतरा के मामले (उपरोक्त) में निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होता है क्योंकि संतरा के मामले (सुप्रा) में डॉक्टर की ओर से अपनी लापरवाही को स्वीकार किया गया था।

(2) क्या ट्यूबेक्टॉमी के ऑपरेशन की सफलता दर 100% है जबकि चिकित्सा विशेषज्ञों की राय के अनुसार ऑपरेशन के विफल होने की संभावना 0.4% से 0.6% तक है।

(9) अपीलकर्ताओं के वकील ने पंजाब राज्य बनाम शिव राम और अन्य (2) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर भरोसा किया है, और तर्क दिया है कि केवल इसलिए कि एक महिला ने नसबंदी ऑपरेशन कराया था और उसके बाद गर्भवती हो गई और उसका प्रसव हुआ किसी बच्चे के अवांछित गर्भधारण या अनचाहे बच्चे के कारण ऑपरेशन करने वाले सर्जन या उसके नियोक्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि दावा केवल तभी कायम रखा जा सकता है जब सर्जरी करने में सर्जन की ओर से लापरवाही हुई हो और संतरा के मामले(उपरोक्त)में निचली अदालत द्वारा दिया गया निर्णय लागू नहीं होता है।

______________________________ (2) (2005) 7 अस.सी.सी. 1

10) मैंने अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा उद्धृत उपरोक्त निर्णय का अध्ययन किया है। संत्रा के मामले (सुप्रा) के फैसले पर, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने हर्जाना देते समय भरोसा किया था, उस पर भी चर्चा की गई है। उस मामले में यह पाया गया कि महिला ने खुद को पूर्ण नसबंदी के लिए पेश किया था, न कि आंशिक ऑपरेशन के लिए, इसलिए उसकी दोनों फैलोपियन ट्यूबों का ऑपरेशन किया जाना चाहिए था। यह तथ्य के रूप में पाया गया है कि केवल दाहिनी फैलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन किया गया था और बाईं फैलोपियन ट्यूब को अछूता छोड़ दिया

गया था। उसे एक प्रमाणपत्र जारी किया गया कि उसका ऑपरेशन सफल है और उसे आश्वासन दिया गया कि वह भविष्य में बच्चे को जन्म नहीं देगी। इन परिस्थितियों में, चिकित्सीय लापरवाही का मामला पाया गया और अपकृत्य में मुआवजे के आदेश को उचित ठहराया गया।

(11) वर्तमान मामले में, डीडब्ल्यू1 के रूप में उपस्थित होते हुए, प्रतिवादी संख्या 3 डॉ. जी.एस. बुट्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने दोनों फैलोपियन ट्यूबों का ऑपरेशन किया था और सभी निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए उचित परिश्रम के साथ ऑपरेशन किया था। मेरे विचार में, ट्रायल कोर्ट ने डीडब्ल्यूआई के बयान को स्व-सेवारत बयान के रूप में खारिज करके एक त्रुटि की है, हालांकि पीडब्ल्यू 1 वादी के रूप में पेश होने के दौरान अमरावती ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि डॉक्टर-प्रतिवादी नंबर 3 ने उसकी पूरी तरह से जांच की थी। और फिर ऑपरेशन किया गया. संयोग की बात है कि पांच साल के ऑपरेशन के बाद वह गर्भवती हुई और एक बच्चे को जन्म दिया। नीचे के दोनों न्यायालयों ने कोई सकारात्मक मामला दर्ज नहीं किया हैऑपरेशन के समय डॉक्टर की ओर से लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। सबूतों और स्त्री रोग विज्ञान पर आधिकारिक पाठ्य पुस्तकों के आधार पर लापरवाही की खोज के अभाव में, जिसमें स्वीकृत तकनीकों में से चुनी गई तकनीक के आधार पर 0.3% से 0.7% की विफलता दर को मान्यता दी गई है, लापरवाही के लिए अपीलकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। शिव राम के मामले (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि:

"केवल इसलिए कि नसबंदी ऑपरेशन कराने वाली एक महिला गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, ऑपरेशन करने वाले सर्जन या उसके नियोक्ता को अवांछित गर्भावस्था या अवांछित बच्चे के कारण मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे मामलों में अपकृत्य का दावा केवल तभी कायम रखा जा सकता है जब सर्जरी करने में सर्जन की ओर से लापरवाही हुई थी, न कि बच्चे के जन्म के कारण। लापरवाही के सबूत को बोलम के परीक्षण को पूरा करना होगा, (1957) 2 सभी ईआर 118, 121 डी-एफ, में निर्धारित

जैकब मैथ्यू केस, (2005) 6 एससीसी1, पृष्ठ पर। 19, पैरा 19. प्राकृतिक कारणों से विफलता दावे के लिए कोई आधार प्रदान नहीं करेगी। यह उस महिला पर निर्भर करता है जिसने गर्भधारण किया है कि वह गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन करा सकती है या नहीं। नसबंदी ऑपरेशन कराने के बावजूद गर्भधारण का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, यदि दम्पति बच्चे को जन्म देने का विकल्प चुनता है, तो वह अवांछित बच्चा नहीं रह जाता है। ऐसे बच्चे के भरण-पोषण और पालन-पोषण के लिए

मुआवजे का दावा नहीं किया जा सकता। एक बार जब महिला का मासिक धर्म चक्र छूट जाता है तो दंपति से यह अपेक्षा की जाती है कि वे डॉक्टर के पास जाएं और चिकित्सीय सलाह लें। चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम की धारा 3(2) उसके स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित। 1971 कानून के तहत गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक वैध और कानूनी आधार प्रदान करता है। यदि महिला को अवांछित गर्भधारण हुआ है, तो इसे समाप्त किया जा सकता है और यह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के तहत कानूनी और स्वीकार्य है।

इसी तरह, सर्जन को अनुबंध में तब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वादी यह आरोप न लगा दे और साबित न कर दे कि सर्जन ने सर्जरी के बाद गर्भावस्था के 100% बहिष्कार का आश्वासन दिया था और केवल इस तरह के आश्वासन के आधार पर ही वादी को सर्जरी कराने के लिए राजी किया गया था। आमतौर पर कोई सर्जन ऐसी गारंटी नहीं देता है। जहां एक डॉक्टर ने मरीज पर एक विशेष ऑपरेशन करने के लिए अनुबंध किया था और एक विशेष परिणाम की उम्मीद की गई थी, अदालत डॉक्टर और मरीज के बीच अनुबंध में यह शर्त लगाएगी कि ऑपरेशन उचित देखभाल और कौशल के साथ किया जाएगा, लेकिन एक शर्त या अयोग्य संपार्श्विक वारंटी का संकेत देने में धीमे रहें कि अपेक्षित परिणाम वास्तव में प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि यह संभव था कि कोई भी जिम्मेदार चिकित्सा आदमी ऐसी वारंटी देने का इरादा नहीं रखता।

महिला नसबंदी ऑपरेशन के कई वैकल्पिक तरीके हैं जिन्हें आज के चिकित्सा विज्ञान द्वारा मान्यता प्राप्त है। उनमें से कुछ कम जटिल होने, शरीर पर न्यूनतम आक्रमण और अस्पताल में कम से कम कारावास की आवश्यकता होने के कारण अधिक लोकप्रिय हैं। हालाँकि, कोई भी अचूक नहीं है और नसबंदी का कोई भी प्रचलित तरीका 100% सफलता की गारंटी नहीं देता है। विफलता के कारण भी हो सकते है

मानव शरीर की प्राकृतिक कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार है और जरूरी नहीं कि सर्जन की ओर से किसी विफलता के लिए जिम्मेदार हो। स्त्री रोग विज्ञान पर आधिकारिक पाठ्यपुस्तकें और अनुभवजन्य शोध कई मान्यता प्राप्त और स्वीकृत तकनीकों में से चुनी गई तकनीक के आधार पर 0.3% से 7% की विफलता दर को पहचानते हैं। जो तकनीक अचूक हो सकती है वह है गर्भाशय को ही हटा देना, लेकिन इसे उचित नहीं माना जाता है। इसका सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब

ऐसी प्रक्रिया को केवल परिवार नियोजन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाना आवश्यक समझा जाए.

नसबंदी ऑपरेशन की विफलता का कारण गर्भाशय ट्यूबों के लेप्रोस्कोपिक निरीक्षण से, या एक्स-रे परीक्षा से, या पुन: नसबंदी के बाद के ऑपरेशन में हटाई गई सामग्री की पैथोलॉजिकल परीक्षा से प्राप्त किया जा सकता है। ट्यूबों को बंद करने के लिए उपयोग किए जाने वाले छल्ले या क्लिप या नायलॉन टांके की संख्या के संबंध में ऑपरेशन नोट्स और एक्स-रे फिल्मों के परिणाम के बीच विसंगति, विफलता के मामले में स्त्री रोग विशेषज्ञ की ओर से लापरवाही का तार्किक अनुमान लगाएगी। नसबंदी ऑपरेशन।"

(12) मेरे विचार में, सर्जरी चिकित्सा विज्ञान द्वारा ज्ञात और मान्यता प्राप्त तकनीक द्वारा की गई थी। यह पूरी तरह से निष्पादित होने के बावजूद नसबंदी ऑपरेशन विफल होने का एक शुद्ध और सरल मामला है।

(13) उपरोक्त कारणों से, मेरी राय है कि नीचे के दोनों न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री कायम नहीं रखी जा सकती। ट्रायल कोर्ट ने केवल इस आधार पर प्रतिवादी अमरावती के पक्ष में क्षतिपूर्ति के लिए एक डिक्री पारित करने की कार्यवाही की है कि वादी ने नसबंदी ऑपरेशन कराने के बावजूद, वह गर्भवती हो गई, बिना ऑपरेशन करने वाले सर्जन को उत्तरदायी ठहराने के लिए लापरवाही का निष्कर्ष दर्ज किए बिना। हालांकि ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई गलती को प्रथम अपीलीय अदालत को बताया गया था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया था, इसलिए अपील की अनुमति दी जाती है और निचली दोनों अदालतों के फैसले और डिक्री को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के रद्द कर दिया जाता है।

आर. अन.आर

अवीकरण :
स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमितउपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

2009_01_ILR_0873_0879_

वसुंधरा राव
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी, हरियाणा।

2009_01_ILR_0873_0879_

2009_01_ILR_0873_0879_

2009_01_ILR_0873_0879_